

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम / डीएलबी/ 12/ ७९५३

दिनांक: १३/४/२२

अधिसूचना

राजथान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधि-2012 के कलॉज 16 (घ) में लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क में निम्नानुसार शिथिलता/छूट प्रदान की जाती है:-

“लाईसेन्स नवीनीकरण की समस्त बकाया राशि, वर्ष 2022-23 तक का एकमुश्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि आदेश जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिवस के अन्दर जमा कराने पर विलम्ब शुल्क एवं ब्याज व शास्ति में शत-प्रतिशत छूट देय होगी।”

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदय कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: १३/४/२२

क्रमांक:प.8(ग)()नियम / डीएलबी/ 12/ ७९६०-७९७१
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर नगर निगम जयपुर (ग्रेटर/ हैरिटेज)।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर (ग्रेटर/ हैरिटेज)।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी